

आवेदक :-

05.05.2025

मह निविदा का अतिरिक्त संख्या - 05/2025-26 आवेदक श्री सुनील कुमार झा के आवेदन के शालोक में शीट नं०/ अं० नि०, चणवार के जॉन प्रतिवेदन के आधार पर संघाति किया गया है।

जॉन प्रतिवेदन तथा मापी प्रतिवेदन के उपरान्त पता चलता कि आवेदक की भूमि का जमाबंदी मॉरीस पंजी-II में दर्ज नहीं है। आवेदक से पूछताछ तथा मॉरीस पंजी-II के अवलोकन से यह तथ्य प्रकाश में आया है कि आवेदक (क्रेता) ने जिस व्यक्ति से भूमि खरीद किया था, उस व्यक्ति (निर्बन्ध) का भी जमाबंदी मॉरीस पंजी-II में कायम नहीं है। जिसके कारण आवेदक का जमाबंदी कायम करने के पश्चात कि यह भूमि (पंजी II) से एकत्र पड़ा जाए (खारिज किया जाए) यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है और न ही आवेदक इस संबंध में कोई सक्षम उपलब्ध का पत्र में सफल हुए हैं।

अतः उक्त के अलावा में आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करने हुए वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।

05.05.25

अंमलअधिकारी
चणवार